न्यायालय–श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–1830 / 2019
संस्थित दिनांक–27.09.2019
सी.एन.आर.एम.पी.15010109252019
फाईलिंग नंबर–8975 / 2019

1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी,क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स,सागर (म.प्र.).

.....अभियोजन / परिवादी

विरूद्ध

1. शेखरदास पुत्र विनयदास, आयु 38 वर्ष, निवासी–पाईप रोड वनगांव (पश्चिम बंगाल)
2. सुल्तान पुत्र मोहम्मद जेनुअल, आयु 29 वर्ष, निवासी–2 / 1 सी बंगालीशाह वरसीलेन थाना इकबालपुर कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

.....आरोपीगण

==========

अभियोजन द्वारा — ए.डी.पी.ओ. श्री ब्रजेश दीक्षित।
आरोपी शेखरदास द्वारा — अधिवक्ता श्री महेन्द्र राय।
आरोपी मोहम्मद सुल्तान द्वारा — अधिवक्ता श्री फैज मोहम्मद।

==========

(नि र्ण य)

(आज दिनांक 29–मार्च–2022 को घोषित)

1. आरोपी शेखरदास एवं सुल्तान के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम (संशोधन 2003) 1972 की धारा 39, 44, 48, 48(ए), 49(बी) एवं 52 के उल्लंघन में अपराध कारित कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधन 2003) की धारा 51 के परंतुक एवं धारा 51(1क) के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप हैं कि आरोपी शेखरदास ने दिनांक 30.07.2019 को एवं अभियुक्त सुल्तान ने दिनांक 04.04.2021 को अभिरक्षा में लिये जाने के पूर्व के वर्षों में, उक्त सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों

की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के रूप में, मुख्य रूप से भारत के मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों, व देशों, में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) (जिसे आगे के पदों में कछुआ लिखा जायेगा) एवं अन्य प्रजाति के कछुओं को जीवित अवस्था में अवैध रूप से पकड़कर अपने कब्जे में रखकर लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) एवं पेंगोलिन के स्कल्स, तथा अन्य वन्य प्राणी अवयव को अवैध रूप से स्वयं के कब्जे में रखा, तथा बगैर अनुज्ञप्ति के उसका खरीद–फरोख्त (व्यापार) कर, तथा व्यापार के संबंध में अवैध परिवहन कर, और सहअभियुक्त के साथ मिलकर अनुसूचित पशु से प्राप्त ट्राफी, पशु वस्तु का, अवैध व्यापार किया।

2. यह उल्लेखनीय है कि आरोपी नंदलाल मृत हो चुका है, आरोपी नंदलाल के मृत हो जाने से उसके विरूद्ध कार्यवाही दिनांक 07.08.2018 को उपशमित हो चुकी है। अभियुक्त आजाद पिता हरीराम उर्फ हरीसिंह आदिवासी, आयु 45 वर्ष, निवासी– सब्जी मण्डी, कैलारस जिला मुरैना (म.प्र.), अजयसिंह पिता कृपालसिंह, आयु 40वर्ष, निवासी– मकान नं.60, नई आबादी, जायसवाल कुंज, नागला मोहल्ला थाना एत्मोदोला,आगरा (उ.प्र.), सम्पतिया पिता भन्तु बाथम (भोई), आयु 49वर्ष, पेशा– सिंचाई विभाग में शासकीय नौकरी, निवासी– श्यामपुर थाना वीरपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.), विजय पिता शशीकांत गौड़, आयु 30 वर्ष, निवासी–10 / 9, बैंरिंग क्वार्टर थाटीपुर,जिला ग्वालियर (म.प्र.), कमल उर्फ राकेश पिता देवीचरण बाथम,आयु 39वर्ष, पेशा–मजदूरी, निवासी–वीरपुर जिला श्योपुर (म.प्र.), रामसिंह उर्फ भोला पिता कुंवरपालसिंह, आयु 27 वर्ष, निवासी–मेनपुरी जिला मेनपुरी (उ.प्र.), कैलाशी उर्फ चच्चा पिता छउआ उर्फ छबीराम बाथम,आयु 55 वर्ष, निवासी– नूराबाद जिला मुरैना (म.प्र.), मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर पिता गुल मोहम्मद, आयु 31 वर्ष, निवासी–ग्राम भौगांव

जिला मेनपुरी(उ.प्र.), थमीम अंसारी पिता साथर अंसारी, आयु 29वर्ष, निवासी– 67, थिरूमलाई नग मोराई आबाडी, चैन्नई(तमिलनाडू), मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद जनुअल, आयु 27 वर्ष,निवासी– 2 / 1बी,बंगाली शाहा वारसी लेन, पोस्ट–खिदिरपुर, थाना इकबालपुर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), मन्नीवन्नन पिता मुररूगेशन, आयु 31 वर्ष,निवासी–पुराना नं. 112,नया नंबर–32, द्वितीय तल,थयप्पा स्ट्रीट जोर्ज टाउन चैन्नई (तमिलनाडू), सुशीलदास उर्फ खोका पिता पुरतीराम, आयु 61 वर्ष, निवासी–कायरामारी उत्तरपारा, पोस्ट व थाना वनगांव एवं तपश बसाक उर्फ रोनी पिता तपन बसाक,आयु 30वर्ष,निवासी–64 / ए, प्रतापगढ़ कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के संबंध में प्रकरण का निराकरण हो चुका है तथा आरोपी अजय कोरकू पिता संतोष कोरकू,निवासी–थाटीपुर, ग्वालियर,सनील व्ही. सेमुअल पिता सेमवेल, निवासी थिरूवोत्तयुर, चैन्नई, खोकन शाह, आयु 62 वर्ष,निवासी–परगना,वेस्ट बंगाल,शैलेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह निवासी– मैंनपुरी (उ.प्र.), मिश्रीलाल माहोर पिता ख्यालीराम माहोर, निवासी–ग्वालियर, रजनीकांत ओझा, निवासी– कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), हमीद सिलमी, निवासी– श्रीलंका, बेन्टी, निवासी– कालूतरा, श्रीलंका, तारकनाथ घोष पिता निताई घोष, निवासी–परगना, (पश्चिम बंगाल), मोन्टरी,निवासी–थाईलेंण्ड, राजनारायण ए बिरानी, निवासी–पूजल, चैन्नई (फरार), अजीज उर्फ आकाश निवासी–ढाका बंगलादेश, अलहज शफीकउल इस्लाम उर्फ रहमान तालुकदार, नि.बंग्लादेश, विनोदसिंह निवासी–गया (बिहार), अब्बासभाई निवासी–गया (बिहार), माईक, निवासी–बैंकाक, कार्सन, निवासी–गुअंगझोउ (चीन), टेर्री, निवासी–कुआलालम्पुर (मलेशिया), ईवान, निवासी–कुआलालंम्पुर (मलेशिया), एल्विस, निवासी होंगकोंग एवं जैकी, निवासी–बैंकॉक प्रकरण में फरार हैं, अतः यह निर्णय मात्र आरोपी शेखरदास एवं सुल्तान के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि संदेश

माहेश्वरी सहायक उप वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग में प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर में पदस्थ थे, एवं विजयेन्द्रसिंह जावरिया वनक्षेत्रपाल, म.प्र.शासन, वन विभाग में प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर के पद पर पदस्थ थे, जो विधि अनुसार अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत थे और संदेश माहेश्वरी उपवन संरक्षक द्वारा आरोपी शेखरदास के विरूद्ध दिनांक 20.09.2019 को एवं विजयेन्द्रसिंह जावरिया वनक्षेत्रपाल द्वारा आरोपी सुल्तान के विरूद्ध दिनांक 02.06.2021 को अधिनियम की धारा 2, 9, 39, 44, 48ए, 49बी, 52 अधिनियम के अंतर्गत पूरक परिवाद पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

4. अभियोजन कथा अनुसार परिवादी संदेश माहेश्वरी, सहायक वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, में प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, सागर तथा परिवादी विजयेन्द्रसिंह जावरिया, वनक्षेत्रपाल मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग में प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स,सागर के द्वारा क्रमशः आरोपी शेखरदास एवं आरोपी सुल्तान के विरूद्ध पृथक–पृथक प्रस्तुत परिवाद पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादीगण विधिवत् वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 55 के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत हैं, परिवादी संदेश महेश्वरी ने अभियुक्त शेखरदास के विरूद्ध एवं परिवादी विजयेन्द्र सिंह जावरिया ने अभियुक्त सुल्तान के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2,9,39,44,48ए,49बी,52 के उल्लंघन में धारा 51 के अंतर्गत दंडित किये जाने हेतु इस आशय के परिवाद प्रस्तुत किये हैं कि दिनांक 05.05.2017 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल, गमरेंज सबलगढ एवं क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर की संयुक्त टीम सबलगढ़ न्यायालय से पुलिस / फारेस्ट रिमाण्ड में प्राप्त आरोपी आजाद वल्द हरीराम आदिवासी की निशानदेही पर ग्राम मोंगियापुरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में नंदलाल पिता

प्रेमसिंह मोगिया के घर पहुंचकर नंदलाल से पूछतांछ की एवं घर की तलाशी ली, तलाशी के दौरान नंदलाल के घर में पीले रंग की पालीथीन के अंदर 300 ग्राम (50 नग) पेंगोलिन के खपटे बरामद कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 अंतर्गत धारा 2,9,39,44,48ए,49बी,51,52 पंजीबद्ध किया गया है।

5. उपरोक्त प्रकरण की अग्रिम विवेचना में आरोपी आजादसिंह की शिनाख्तगी पर गिरफ्तार आरोपी अजयसिंह निवासी आगरा, एवं अजयसिंह की शिनाख्तगी पर संलिप्त आरोपी विजय गौड़ निवासी थाटीपुर ग्वालियर से दिनांक 24.06.2017 को 500 ग्राम पैंगोलिन के शल्क जप्त कर आरोपी को गिर्फ्तार किया गया। इसके पश्चात् आरोपी अजयसिंह निवासी आगरा के शिनाख्ती पर संलिप्त आरोपी रामसींग उर्फ भोला की निशानदेही पर आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से दिनांक 07.09.2017 को देवरी ईको सेंटर राष्ट्रीय घ ाड़ियाल / डॉल्फिन अभ्यारण से चोरी किये हुये 03 नग लाल तिलकधारी कछुये आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान जप्त किये गये।

6. अभियोजन का यह भी प्रकरण है कि प्रोडक्शन वारण्ट में प्राप्त आरोपी अजयसिंह ने अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 09.06.2017 एवं 10.06.2017 को पूछतांछ के दौरान आरोपी शेखरदास एवं आरोपी सुल्तान की शिनाख्तगी कर बताया कि आरोपीगण के साथ व्यापक स्तर से दुर्लभ विलुप्त प्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुऐ की अवैध व्यापार में संलिप्तता बताई। आरोपी अजयसिंह ने दिनांक 10.06.2017 को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 50 (8) के अंतर्गत उपवन संरक्षक एवं प्रभारी अधिकारी टी.एस.एफ.सागर के समक्ष बयान दिया कि उन्होंने पिछले सालों में लगभग 700–800 कछुओं को लगभग 400 / – 500 / –रूपये प्रतिनग के हिसाब से खरीदा है एवं कलकत्ता निवासी मोहम्द इरफान एवं मोहम्मद सुल्तान को बेचे, इसके अलावा वह हिन्दुस्तान एवं बंग्लादेश बार्डर पर बोनगांव

एवं चांदपारा निवासी खोका, खोकोन शाह एवं शेखर को भी कछुआ बेचता रहा है एवं ये लोग उससे आकर आगरा में भी मिलते थे और वह उससे मिलने बोनगांव तक गया है। आरोपी शेखर को भी कछुये बेचता रहा है।

7. अभियोजन का प्रकरण यह भी है कि आरोपी इरफान ने भी दिनांक 31.01.2018 को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 50 (8) के अंतर्गत उपवनसंरक्षक एवं प्रभारी अधिकारी टी.एस.एफ., सागर के समक्ष कथनों में बताया है कि वह और उसका भाई सुल्तान वर्ष 2010 से मध्यप्रदेश राज्य के लाल तिलकधारी कछुओं, सॉफ्ट शेल टर्टल, एवं अन्य प्रजाति के कछुये जैसे कि हेमीटोनी टर्टल इत्यादि खरीदने बेचने का काम करता था।

8. आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने पूछतांछ पर अपने कथनों में अन्य अभियुक्तगण के साथ–साथ मोहम्मद सुल्तान की शिनाख्त किया है मोहम्मद इरफान व उसका भाई मोहम्मद सुल्तान को बेचना भी बताया है। इस प्रकार आरोपी मोहम्मद सुल्तान की संलिप्तता को स्पष्ट किया है।

9. अभियोजन का यह भी पक्ष है कि आरोपी शेखरदास ने दिनांक 03.08.2019 को उपवन संरक्षक एवं प्रभारी अधिकारी टी.एस.एफ.,सागर के समक्ष दिये गये बयान में बताया है कि वह वर्ष 2012 से वर्ष 2014 तक कछुओं का अच्छा व्यापार करता था, जिससे उसे बहुत फायदा हुआ था।

10. आरोपी शेखरदास ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसका मोबाईल नंबर 9046262690 एवं 9679127792, जो कि उसके द्वारा व्यापार में उपयोग किया जाता था, किन्तु कछुआ के केस में कई लोगों के पकड़े जाने के कारण इन मोबईल नंबरों के उसके द्वारा लगभग एक वर्ष से उपयोग करना बंद कर दिया गया है। वह कछुओं के व्यापार में ज्यादातर कछुआ नगदी से प्राप्त करता था, कभी–कभार ही उसके द्वारा पैसों का लेनदेन बैंक खाता के माध्यम से किया जाता था, उसका बैंक खाता केनरा

बैंक में है। उपरोक्त लाल तिलकधारी कछुआ दुर्लभ विलुप्त प्राय वन्य प्राणी है। जिसका संतुलित रहवास चम्बल नदी का पारिस्थितिकी तंत्र होने के कारण उपरोक्त लाल तिलकधारी कछुआ चम्बल नदी में ही मिलता है, इसलिये मध्यप्रदेश वन विभाग के द्वारा लाल तिलकधारी कछुआ को संरक्षित हेतु देवरी ईको सेन्टर जिला मुरैना में घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है। चूंकि आरोपी शेखरदास के द्वारा जान–बूझकर दुर्लभ विलुप्त प्रायः एवं प्रतिबंधित लाल तिलकधारी कछुओं का भारत से बाहर विदेशों में पैसों के लिये तस्करी करता है। इस प्रकार आरोपी शेखरदास के द्वारा भारत का प्राकृतिक सम्पदा एवं जैव विविधता को नुकसानी पहुंचाया है। आरोपी शेखरदास के मोबाईल नंबर 9046262690, 9679127792 एवं 7908070073 पर आरोपी अजयसिंह, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह से लगातार बात करना पाया गया है। उक्तानुसार परिवाद प्रस्तुत करते हुये आरोपी शेखरदास के विरूद्ध उक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दंडित किये जाने का निवेदन किया गया है।

11. अभियोजन का यह भी पक्ष है कि आरोपी मोहम्मद सुल्तान ने अपने कथन में आगे यह भी बताया है कि वर्ष 2013 में उसका भाई इरफान व आरोपी तपश बसक कोलकाता पुलिस के द्वारा कछुये को विदेश भेजते समय पकड़ा गये थे। वर्ष 2016 में एक बार वह और उसका भाई इरफान लाल तिलकधारी कछुये की खेप लेने अजयसिंह के घर आगरा गये, वहां उसकी व उसके भाई की अजयसिंह से कछुये की खेप के लेनदेन के पैसे के कारण लड़ाई हुई थी, जिसका उल्लेख आरोपी अजयसिंह ने उनके कछुये के अवैध व्यापार लेने हेतु बनाये गये फेसबुक ग्रुप में भी किया था। इसप्रकार आरोपी सुल्तान के बैंक खातों से कुल 99,52,368 / –रूपये का लेनदेन हुआ है।

12. उपरोक्त लाल तिलकधारी कछुआ दुर्लभ विलुप्त प्राय वन्य प्राणी है। जिसका संतुलित रहवास चम्बल नदी का पारिस्थितिकी तंत्र होने के कारण उपरोक्त लाल तिलकधारी कछुआ चम्बल नदी में ही मिलता है, इसलिये

उसका संरक्षक वन विभाग म.प्र. के द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य देवरी मुरैना में किया जाता है। चूंकि आरोपी सुल्तान के द्वारा जान–बूझकर दुर्लभ विलुप्त प्रायः एवं प्रतिबंधित लाल तिलकधारी कछुओं का भारत से बाहर विदेशों में पैसों के लिये तस्करी करता है। इस प्रकार आरोपी सुल्तान के द्वारा भारत का प्राकृतिक सम्पदा एवं राष्ट्र् के परिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाया है। इस आधार पर आरोपी सुल्तान की, गिरफ्तार व फरार आरोपीगण से लाल तिलकधारी कछुओं एवं अन्य प्रजाति के कछुओं के अवैध व्यापार एवं व्यवहार में संलिप्तता प्रमाणित हुई है। इसप्रकार आरोपी मोहम्मद सुल्तान के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के दुर्लभ एवं प्रतिबंधित विलुप्त प्रायः लाल तिलकधारी कछुओं एवं अन्य प्रजाति के कछुओं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की संलिप्तता प्रकट हुई है।

13. उक्त अभियुक्तगण शेखरदास एवं मोहम्मद सुल्तान के विरूद्ध निर्णय की कंडिका–1 में वर्णित धाराओं के आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियुक्तगण द्वारा धारा 313 दं.प्र.सं. के कथनों में अभियोजन कथानक को नकारते हुये स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है एवं अभियुक्त मोहम्मद सुल्तान ने यह भी व्यक्त किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उक्त अपराध में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। अभियुक्त सुल्तान को बचाव में प्रविष्ट कराये जाने पर उसने बचाव में साक्ष्य न देना व्यक्त किया तथा अभियुक्त शेखरदास ने बचाव में साक्ष्य देना तो व्यक्त किया है कि किन्तु बाद के प्रक्रम में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गई है।

14. अतः प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

1– क्या आरोपी शेखरदास एवं मोहम्मद सुल्तान ने उनको अभिरक्षा में लिये जाने की दिनांक के पूर्व के वर्षों में, उक्त सह–अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण तथा फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में कार्य किया है?

2– क्या उक्त आरोपीगण ने सह–आरोपीगण के साथ मिलकर के उक्त समय व स्थान पर मुख्य रूप से भारत के मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चैन्नई आदि राज्यों, तथा भारत के बाहर के श्रीलंका, बंग्लादेश, चीन, थाईलेंड, पाकिस्तान, मलेशिया, हांगकांग आदि देशों, में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) एवं पेंगोलिन के स्कल्स, तथा अन्य वन्य प्राणी अवयव अधिनियम के तहत जो अनुसूचित पशु है,को अवैध रूप से स्वयं के कब्जे में रखा?

3– क्या उक्त आरोपीगण ने सह–आरोपीगण के साथ मिलकर के उक्त समय व स्थान पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) एवं पेंगोलिन के स्कल्स, तथा अन्य वन्य प्राणी अवयव को बगैर अनुज्ञप्ति के उनकी खरीद–फरोख्त

(व्यापार) किया तथा उक्त व्यापार के संबंध में उनका अवैध परिवहन किया?

4– क्या उक्त आरोपीगण ने सह–आरोपीगण के साथ मिलकर के उक्त समय व स्थान पर अनुसूचित पशु से प्राप्त ट्राफी, पशु वस्तु का, अवैध कब्जे में रखकर परिवहन कर व्यापार किया?

5– क्या आरोपीगण ने उक्त समय एवं स्थान पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) का शिकार (अधिनियम में यथा परिभाषित) किया?

सकारण निष्कर्ष

15. अभियोजन की ओर से विवेचक साक्षी संदेश महेश्वरी (अ.सा. 1), साक्षीगण इंदरसिंह बारे (अ.सा. 2), विजयेन्द्रसिंह जावरिया (अ.सा. 3), राहुल विश्वकर्मा (अ.सा. 4), राकेश तिवारी (अ.सा. 5), सुनील त्यागी (अ.सा. 6), आरती शर्मा (अ.सा. 7), अनिल कुमार यादव (अ.सा. 8), प्रीतम अहिरवाल (अ. सा. 9), सुर्भितकुमार जैन(अ.सा. 10), श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 11), सेवाराम मलिक (अ.सा. 12) एवं राहुल रावत (अ.सा. 13) को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, तथा उनसे प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–358 के दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया है, जबकि बचाव पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 लगायत 5 की विवेचना एवं निष्कर्षः–

16. उक्त विचारणीय प्रश्नों की अन्तर्मिश्रितता एवं प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये, साक्ष्य के दोहराव से बचने के

लिये उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

17. उपरोक्त प्रस्तुत अभियोजन मामला अनुसार विरचित आरोप के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित है कि अभियोजन द्वारा वर्तमान मामला आरोपीगण के विरूद्ध किसी एक विशिष्ट दिनांक अथवा एक विशिष्ट स्थान पर हुये किसी एक घटना के संबंध में प्रस्तुत न किया जाकर आरोपीगण के द्वारा वन्य जीवों विशेषकर पेंगोलिन के शल्क एवं लाल तिलकधारी कछुये, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची–I में क्रमशः भाग–1 की कंडिका–28 एवं भाग–2 की कंडिका–14बी में आते हैं, के संबंध में, एक लंबी कालावधि तक, लगातार किये जाते रहने वाले कथित अवैध व्यापार के अपराध के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, और इस कारण तत्संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना को, उक्त संदर्भ में ही किया जाना उचित होगा। उक्त संबंध में यह आवश्यक है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में उपबंधित उन विशिष्ट प्रावधानों का अवलोकन कर लिया जाये, जो वर्तमान प्रकरण से सुसंगत हैं और जिन्हें अपराध की विशेष प्रकृति के आधार पर विधायिका ने अधिनियम में समर्थकारी उपबंधों के रूप में विशिष्ट रूप से उपबंधित किया है।

18. उल्लेखनीय है कि किसी भी अपराध की न्यायपूर्ण विवेचना के लिए यह आवश्यक है कि उक्त प्रकरण की अनुसंधान कार्यवाही तथा अभियोग पत्र प्रस्तुति सक्षम प्राधिकारी के द्वारा संपादित की जाये, परिवाद प्रस्तुति की अधिकारिता के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 55 विशिष्टतः यह प्रावधानित करती है कि :–

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरूद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा–

(ए) वन्य जीव संरक्षण निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस

निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

(बी) मुख्य वन्य जीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के साथ जो विनिर्दिष्ट की जाये इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी,

उक्त संबंध में यह भी अवलोकनीय है कि अधिनियम की उक्त धारा 55 के पालन में राज्य शासन द्वारा म.प्र. नियम 1974 बनाये गये जिसके नियम 55 के अनुसार अधिनियम की धारा 55 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को वन्य जीव संबंधी प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता प्रदान की गयी है –

(ए) चीफ वाइल्ड लाईफ वार्डन

(बी) वाइल्ड लाईफ वार्डन

(सी) फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर

उल्लेखनीय है कि परिवाद प्रस्तुति की अधिकारिता के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्य प्रदेश का आदेश क्रमांक 189 भोपाल दिनांक 22.08.2006 भी अवलोकनीय है, जिसमें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन विभिन्न अधिकारियों को परिशिष्ट 1 के अनुसार कर दिया गया है और जिसमें उप वन मंडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 50 (8) तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी को अधिनियम की धारा 55 के दायित्व और शक्तियों का निर्वाह करने हेतु प्रत्यायोजन किया गया है।

19. इसी प्रकार अभियुक्त की संस्वीकृति के संबंध में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 50 (8) (डी), एवं धारा 50 (9) में यह उपबंधित किया गया है कि –

धारा –50 प्रवेश, तलाशी, गिरफतारी और निरूद्ध करने की शक्ति –

8.तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जो सहायक वनपाल की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधि0 के किसी उपबंध के विरूद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(डी) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित कराना।

9. उपधारा (8) के खंड (डी) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य किसी मजिस्टेट के समक्ष किसी पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परंतु यह तब जबकि उसे अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो।

20. इसी प्रकार दण्ड के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 यह उपबंध करती है कि–

1–कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान (अध्याय–5 क और धारा 38 ञ को छोड़कर) या अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या जो इस अधिनियम के अधीन दी गई, किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र की शर्तों में से

किसी का भंग करेगा, वह इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा,

परंतु यदि किया गया अपराध अनुसूची–1 में या अनुसूची–2 के भाग–2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या किसी ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी के संबंध में है, या अपराध किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट से संबंधित या किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है, तो ऐसा अपराध, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(1–क) कोई व्यक्ति जो अध्याय 5–क (कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफी, प्राणी वस्तुओं आदि में व्यापार या वाणिज्य का प्रतिषेध)के उपबंध का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु सात वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

21. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उक्त विशिष्ट प्रावधानों के समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अधिनियम की उद्देशिका में यथा उल्लिखित अनुसार देश की पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा

सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम में कतिपय विशिष्ट समर्थकारी प्रावधान उपबंधित किये गये है, जो सामान्य विधि के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी को प्रदत्त नहीं है। उक्त समर्थकारी उपबंध वन्य जीवों के अवैध आखेट किये जाने, तथा वन्य जीवों की विशिष्ट पारिस्थितिकीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही विधायिका के द्वारा अधिनियम में समाहित किये हैं, ऐसे में वन्य जीव अपराध संबंधी वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना भी उक्त विशिष्ट समर्थकारी उपबंधों के आलोक में किया जाना आवश्यक होगा।

22. अभियोजन कथा अनुसार वर्तमान प्रकरण को पी.ओ.आर. क्रमांक–28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है, उक्त के समर्थन में विवेचक साक्षी संदेश माहेश्वरी (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक 16.09.2019 को कार्यालय क्षेत्रीय स्ट्राईक फोर्स सागर में प्रभारी अधिकारी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स,सागर के पद पर पदस्थ था, उक्त दौरान उक्त दिनांक को उसके द्वारा उक्त पी.ओ.आर. के संबंध में सहअभियुक्त शेखरदास के विरूद्ध प्रदर्श पी–1 का परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया था तथा परिवाद के साथ प्रदर्श पी–2 की सूची संलग्न की गई थी। उक्त अपराध में संलिप्त आरोपी शेखरदास से संबंधित अभिलेखों की सूची प्रदर्श पी–3 है। उक्त वन अपराध क्रमांक की सत्यापित छायाप्रति प्रदर्श पी–4 प्रकरण में संलग्न की गई है। विवेचना में अभियुक्त के द्वारा किये गये अवैध व्यापार के वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ, जोकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची–1 के भाग–2 के अनुक्रमांक 14 बी के अंतर्गत वन्य प्राणी की फोटो का प्रमाण पत्र एवं वैज्ञानिक नाम संबंधित अभिलेख की सत्याप्रति छायाप्रति प्रदर्श पी–5 अभिलेख में संलग्न की है।

23. प्रकरण के अन्य सहअभियुक्त अजयसिंह, मोहम्मद इरफान, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोका के द्वारा दिये गये स्वेच्छया कथन की सत्यापित छायाप्रति प्रदर्श पी–6 लगायत पी–9 प्रकरण में प्रस्तुत की है। उक्त अभियुक्तगण के द्वारा विवेचना में किये गये स्वेच्छयापूर्वक कथनों में सहअभियुक्त शेखरदास की संलिप्तता स्पष्ट पाई गई थी। अभियुक्त सुशीलदास उर्फ खोका तथा शेखरदास की पहचान फोटो देखकर की गई थी, जो पहचान पंचनामा की प्रति प्रदर्श पी–10 है। कार्यालय राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र. भोपाल के कक्ष साईबर सेल के पत्र क्रमांक एस.टी.एस.एफ. साईबर सेल / 2019 / 1340 भोपाल दिनांक 31.08.2019 के पत्र के माध्यम से उक्त वन अपराध में मोबाईल नंबर 79080700073 की सी.डी.आर. के संबंध में 65 बी के प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त किया गया था और प्रकरण में संलग्न किया गया था। अपराध के दौरान अभियुक्त अजय के द्वारा अपने मोबाईल नंबर 7088369759 से शेखर के मोबाईल नंबर 9046262690 एवं अभियुक्त शेखरदास द्वारा मोबाईल नंबर 9679127792 से अजय को उसके मोबाईल नंबर 7088369759 एवं शेखर द्वारा मोबाईल नंबर 79080700073 से अजय को उसके मोबाईल नंबर 7088369759 एवं अजय के द्वारा मोबाईल नंबर 9412124359 से शेखर को उसके मोबाईल नंबर 9679127792 एवं अजय द्वारा अपने मोबाईल नंबर 9412124359 से शेखर को उसके मोबाईल नंबर 9046262690 एवं शेखर के इसी मोबाईल नंबर से अजय के मोबाईल नंबर 7088369759 पर की गई बातचीत के संबंध में सी.डी.आर. प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–19 में वनरक्षक राहुल के द्वारा सत्यापित होने पर उसके द्वारा काउण्टर हस्ताक्षर किये गये थे।

24. उक्त साक्षी संदेश माहेश्वरी (अ.सा.01) ने यह भी मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि उक्त सी.डी.आर. के संबंध में फरार आरोपी शैलेन्द्र से शेखरदास की बातचीत के संबंध में शेखरदास के मोबाईल नंबर

9679127792 से शैलेन्द्र के मोबाईल नंबर 8506060763 से हुई बातचीत के संबंध में वनरक्षक राहुल के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–20 लगायत प्रदर्श पी–23 पर उसके द्वारा काउण्टर हस्ताक्षर किये गये थे। उसके द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक क्षे.टा.स्टा.फो. / 2019 / 1042 सागर दिनांक 04.09. 2019 के द्वारा शाखा प्रबंधक केनरा बैंक कटरा बाजार व सागर को वन्य अपराध प्रकरण क्रमांक 28060 / 02 में गिरफ्तार आरोपी शेखरदास के खाता क्रमांक 4975101000053 का विवरण प्रदाय करने बावत् पत्र लेख किया गया था, जिस पत्र के साथ बैंक का स्टेटमेंण्ट प्रीतम अहिरवार वन रक्षक द्वारा प्राप्त किया गया था।

25. उक्त साक्षी संदेश माहेश्वरी (अ.सा.01) ने यह भी मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि प्रकरण में आरोपी शेखरदास की गिरफ्तारी तत्कालीन प्रभारी अधिकारी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे के अधीनस्थ स्टाफ वनरक्षक राहुल द्वारा की गई थी। उक्त साक्षी संदेश माहेश्वरी (अ.सा.01) ने मुख्य परीक्षण में आगे यह भी व्यक्त किया है कि इसके उपरांत प्रकरण में पूर्व से फरार आरोपी मन्नीवन्नन को तत्कालीन क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर के प्रभारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उसने अपने कथनों में लाल तिलकधारी कछुये के अवैध व्यापार में आरोपी शेखरदास का सहयोग करना बताया है, इसीप्रकार आरोपी सुशीलदास खोका ने भी आरोपी शेखरदास की पहचान करते हुये लाल तिलकधारी कछुओं के व्यापार में आरोपी शेखरदास का सहयोग करना बताया है। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि आरोपी शेखरदास के द्वारा कथन लिये जाने पर उसने मन्नीवन्नन, मोहम्मद इरफान आदि के साथ मिलकर लाल तिलकधारी कछुओं एवं अन्य प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं का अवैध व्यापार किया जाना बताया है। शेखरदास ने तत्कालीन प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स के समक्ष लाल तिलकधारी कछुये एवं सुन्दरी कछुये की फोटो देखकर कछुओं की पहचान की एवं कछुओं का अवैध व्यापार अजयसिंह,

इरफान, अजीज उर्फ आकाश, खोकन शाह, सुशीलदास, तपश बसाक के साथ करना बताया था। शेखरदास के मोबाईल नंबर की सी.डी.आर. से अजयसिंह एवं शैलेन्द्रसिंह के मोबाईल नंबरों पर बात की जाना सी.डी.आर. में पाया गया था।

26. अभियोजन साक्षी इंदरसिंह बारे (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वर्ष 2016 से राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, भोपाल में वन क्षेत्रपाल के पद पर पदस्थ रहने के दौरान उसके समक्ष प्रकरण के आरोपी शेखरदास को थाना वनगांव से उसके साथ दल में उपस्थित सदस्य द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके उपरांत उसने आरोपी शेखरदास की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारजनों को दूरभाष पर दी थी, जिसकी सूचना प्रदर्श पी–24 है, जिसके बाद आरोपी शेखरदास को ए.सी. जे.एम. वनगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से आरोपी के संबंध में ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया था, जिसका आवेदन प्रदर्श पी–25 है। न्यायालय के आदेश के परिपालन में उसने आरोपी शेखरदास को विवेचना अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स,सागर प्रभारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया था, जहां से आरोपी को न्यायालय, सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में पत्र प्रदर्श पी–26 है।

27. अभियोजन साक्षी विजयेन्द्रसिंह जावरिया (अ.सा.03) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि आरोपी अजय सिंह के द्वारा विलुप्त प्राय प्रजाति लाल तिलकधारी कछुओं एवं अन्य विलुप्तप्राय प्रजाति के कछुओं का व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ मिलकर उच्च स्तर में अवैध व्यापार करना स्वीकार किया गया था एवं अपराध में आरोपी मोहम्मद सुल्तान की संलिप्तता को स्पष्ट किया था। आरोपी मोहम्मद इरफान ने यह भी बताया कि वह और उसका भाई मोहम्मद सुल्तान आरोपी अजय सिंह से कछुओं के व्यापार के सिलसिले में मिलने आगरा जाकर आरोपी मोहम्मद सुल्तान के साथ अवैध

व्यापार किया है, और आरोपी मोहम्मद सुल्तान की संलिप्तता स्पष्ट की है।

28. प्रकरण में मोहम्मद सुल्तान की संलिप्तता स्पष्ट हो जाने के पश्चात सीजेएम न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरूद्ध स्थाई गिरफतार वारंट किया गया था, जिसके परिपालन में मुखबिर की सूचना पर दिनांक 03.04.2021 को टीएसएफ सागर एवं एसटीएसएफ भोपाल की टीम कलकत्ता पहुंची थी। उक्त टीम के गठन का आदेश जो कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी किया गया था जिसका आदेश क्रमांक / 2021 / 74 भोपाल दिनांक 03.04.2021 है, जो कि प्रपी 27 है। मौके पर मोहम्मद सुल्तान से मेरे समक्ष दल के सदस्य राकेश तिवारी वनपाल द्वारा एक मोबाइल फोन सेमसंग जे 7 नेक्स्ट जप्त किया था जिसका जप्तीनामा प्रपी 29 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, तथा बी से बी भाग पर आरोपी मोहम्मद सुल्तान ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे, जिसका समर्थन अभियोजन साक्षी राकेश तिवारी (अ.सा.05) ने किया है।

29. अभियोजन साक्षी विजयेन्द्रसिंह जावरिया (अ.सा.03) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी मोहम्मद सुल्तान की ट्रांजिट रिमांड के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो कि प्रपी 30 है, जहां से न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2021 तक का फॉरेस्ट रिमांड स्वीकृत किया गया था, फॉरेस्ट रिमांड में मेरे समक्ष आरोपी मोहम्मद सुल्तान से उसकी उपस्थिति में उसके पास से जप्तशुदा उसके मोबाइल को अनलॉक किया गया था जिसका पंचनामा वनपाल राकेश तिवारी द्वारा तैयार किया गया था उक्त पंचनामा प्रपी 31 है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पूछताछ में सक्षम अधिकारी के समक्ष आरोपी मोहम्मद सुल्तान द्वारा स्वेच्छापूर्वक बताया गया कि हिंदी, अंग्रेजी व बंगाली भाषा का ज्ञान रखता है तथा तीनों भाषायें लिख,पढ़ व समझ सकता है। उसने अपने मोबाइल नंबर क्रमशः 9038374240, 9330600581, 8450806104 एवं 9836235497 बताये। उसने अपनी ईमेल आईडी

क्रमशः mdsultan 9903856155@gmail.com, nawab sultan1206@gmail.com,mdsultan_89@yahoo.co.in बताई थीं। आरोपी मोहम्मद सुल्तान ने अपने कथन में स्वयं के खातों के संबंध में थी जानकारी दी थी जो कि खाता नंबर 50100343507141 एचडीएफसी बैंक सेक्टर 5 कलकत्ता का है, तथा खाता क्रमांक 128805000008 आईसीआईसीआई बैंक कोलकाता का है, खाता क्रमांक 4201529104 आईसीआईसीआई बैंक साल्ट लेक सेक्टर 5 कोलकाता का है, खाता क्रमांक 0093000109109279 पंजाब नेशनल बैंक पार्क रोड कोलकाता बताया था।

30. अभियोजन साक्षी विजयेन्द्रसिंह जावरिया (अ.सा.03) ने अपने मुख्य परीक्षण में व्यक्त किया है कि आरोपी मोहम्मद सुल्तान ने यह भी बताया कि एकत्रित किये हुये कछुओं की वह और उसका भाई मोहम्मद इरफान पैकिंग किया करते थे तथा पैंकिंग के बाद कछुओं को आरोपी मन्नीवन्नन एवं उसके भाई शिंभू निवासी चेन्नई व विनोद थेवर निवासी कोलकाता को भेज देते थे। आरोपी मोहम्मद सुल्तान की उपस्थिति में उसका फेसबुक प्रोफाइल को खोलकर आरोपी अजय सिंह से हुई चैट का पृष्ठ होना बताया जिसे आरोपी के समक्ष साइबर सेल प्रभारी द्वारा मेरे तथा उपवनमण्डल अधिकारी नौरादेही सेवाराम मलिक की उपस्थिति में प्रिंटआउट निकाला गया जो दो पृष्ठों में है जो कि प्रपी 32 तथा प्रपी 33 है जिनके ए से ए भागों पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी एवं उपवनमण्डल अधिकारी ने भी उक्त साक्षी के समक्ष ही उक्त प्रदर्शों पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त संबंध में साइबर प्रभारी से धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया था। आरोपी मोहम्मद सुल्तान ने बताया कि जब वह अजगर सांप की खेप लेकर सियालदाह रेल्वे स्टेशन पहुंचा तो पं. बंगाल पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया था तथा प्रकरण क्र0 03 / 21 दिनांक

02.02.2021 उसके विरूद्ध पंजीबद्ध किया था। आरोपी की ईमेल आईडी ओपन करने का पंचनामा उसके समक्ष लेख किया गया था जो प्रपी 34 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी मोहम्मद सुल्तान के हस्ताक्षर हैं। आरोपी की उपस्थिति में उसकी ईमेल आईडी अधिकृत साइबर सेल प्रभारी अनिल यादव ने उसके तथा उपवनमण्डल अधिकारी के समक्ष जो प्रिंटआउट निकाले गये हैं वे प्रपी 35 लगायत प्रपी 168 हैं, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भागों पर आरोपी ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे। उक्त दस्तावेजों के संबंध में अधिकृत साइबर सेल प्रभारी द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया था।

31. उक्त साक्षी जावरिया (अ.सा.03) ने यह भी बताया है कि फोटो पहचान पंचनामा क्रमशः प्रपी 170 लगायत 180 है, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर आरोपी मोहम्मद सुल्तान ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे। उक्त शिनाख्ती पंचनामा तैयार होने के उपरांत आरोपी की उपस्थिति में अन्य साक्षीगण ने भी उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे। आरोपी मोहम्मद सुल्तान एवं अन्य आरोपीगण के बीच हुये लेनदेन के संबंध में गोशवारा तैयार किया गया था, जिसमें आरोपी मोहम्मद सुल्तान का अन्य आरोपीगण के बीच हुये अवैध लेनदेन की राशि करीब 91,58,368 / – (इकानवे लाख अट्ठावन हजार तीन सौ अड़सठ रूपये) पाई गई। उक्त गोशवारा प्रतिवेदन प्रपी 187 है, जो कि दो पृष्ठों में हैं जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी मोहम्मद सुल्तान के मोबाइल नंबर 9330600581 एवं 907885192 की सीडीआर की सॉफ्ट कॉपी उसके शासकीय ईमेल आईडी acftsf.sgr@mp.gov.in पर उसे वरिष्ठ कार्यालय स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल से प्राप्त हुई थी, आरोपी मोहम्मद सुल्तान के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी जानकारी चाही गई थी, उक्त पत्र प्रपी 188 है जिसके ए से ए

भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

32. अभियोजन साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.04) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि उक्त दिनांक को वन अपराध प्रकरण क्र0 28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 में संलिप्त गिरफतार आरोपी शेखरदास का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाल तिलकधारी कछुओं एवं अन्य कछुओं के अवैध व्यापार से जुड़े हुये आरोपी मन्नीवन्नन, आरोपी मो0 इरफान, तपस बसाक, खोकोन शाह, शैलेन्द्र सिंह, अजय सिंह, सुशीलदास उर्फ खोका, अजीज उर्फ आकाश, के साथ लिंक चार्ट उसके समक्ष तैयार किया गया था, जो कि प्रपी 201 है। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि वन अपराध क्रमांक–28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 में विवेचना अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर आरोपी शेखरदास के मोबाईल नंबर 7908070073, 9046262690 एवं 9779127792 की सी.डी.आर. राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र. भोपाल की शासकीय ईमेल आई.डी.–apccfwl.prot@mp.gov.in से कार्यालय आर.टी.एस.एफ.,सागर के शासकीय कम्प्यूटर डेल पर शासकीय ईमेल आईडी acftsf.sgr@mp/gov.in से प्राप्त कर शासकीय प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त किये थे, उक्त संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–202 है। उक्त मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर. पृष्ठ क्रमांक–63 से पृष्ठ क्रमांक–124 है, जो प्रदर्श पी–203 लगायत प्रदर्श पी–264 है। अभियोजन साक्षी अनिल कुमार यादव (अ.सा.06), प्रीतम अहिरवाल (अ.सा.09) ने भी उक्त साक्षी के कथन का समर्थन करते हुये उक्तानुसार कथन किये हैं।

33. अभियोजन साक्षी राकेश तिवारी (अ.सा.05) ने मुख्य परीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी मो0 सुल्तान द्वारा उसकी तथा अन्य साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये थे तथा उक्त संबंध में पंचनामा प्रपी 34 तैयार किया गया था। प्रपी 34 के अनुसार आरोपी की जीमेल आईडी से निकाले गये दस्तावेज प्रपी 35 लगायत प्रपी 168 है। उक्त मोबाइल सीलबंद हालत में हैं, जो एक कपड़े से सिले हुये कवर के उपर टेप से एक पेपर चिपका हुआ है

जिसका विवरण इस प्रकार है कि सीजेएम न्यायालय सागर पीओआर नंबर 28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 दां.प्र.क्र. 1830 / 19 क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर जिला सागर विरूद्ध शेखरदास + सुल्तान धारा डब्ल्यूएल पीए 2,9,39,44,48ए,49बी,51,52 एक नग मोबाइल फोन सेमसंग मॉडल नंबर एसएमजे 7–01 एफ आईएमईआई नंबर 359972083269727, 359973083269725 तथा निचले भाग पर सीजेएम की सील एवं हस्ताक्षर हैं और क0 1432 / 21 भी अंकित है।

34. अभियोजन साक्षी सुनील त्यागी (अ.सा. 6) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी सुल्तान को गिरफ्तार कर सागर लाया जाना तथा उससे जप्तशुदा मोबाईल को उसके समक्ष निकालकर ऑन किया जाना एवं पंचनामा प्रदर्श पी–31 बनाया जाना बताया है तथा आरोपी सुल्तान ने उसके समक्ष अपने मोबाईल नंबर क्रमशः 9038374240, 9330600581, 8450806104 एवं 98362354497 बताये थे, आरोपी ने स्वयं की मेल आई.डी. क्रमशः mdsultan9903856155@gmail.com, nawabsultan1206@gmail. com,md sultan89yahoo.co.in बताई थी तथा स्वयं के बैंक खातों के नंबर क्रमशः एचडीएफसी बैंक का खाता क्रमांक 50100343507141, आई.सी.आई.सी.आई बैंक का खाता क्रमांक 128805000008 अन्य खाता आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का क्रमांक 4201529104 तथा पंजाब नेशनल बैंक का खाता क्रमांक 0093000109109279 बताये थे तथा उक्त साक्षी ने भी साक्षी राकेश तिवारी (अ. सा. 5) के कथन का समर्थन किया है तथा उसके द्वारा आरोपी सुल्तान की पंजाब नेशनल बैंक के खाता क्रमांक 0093000109109279 के बैंक स्टेटमेंण्ट शासकीय ईमेल आईडी acftsf.sgar.@mp.gov.in पर प्राप्त होने के उपरांत कार्यालयीन कम्प्यूटर से उनका प्रिंटआउट निकालकर विवेचना अधिकारी को उपलब्ध कराये थे, जो प्रदर्श पी–265 लगायत पी–280 है, जिसके संबंध में 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–281 प्रस्तुत किया है।

उक्तानुसार ही कथन अभियोजन साक्षी सेवाराम मलिक (अ.सा. 12) ने किये है।

35. अभियोजन साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.11) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक कार्यालय क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर में उपवनसंरक्षक के पद पर प्रभारी अधिकारी के रूप में पदस्थ रहने के दौरान वन अपराध प्रकरण क्रमांक28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 में पूर्व से फरार आरोपी शेखरदास को उनके विभाग की टीम द्वारा गिरफतार करके सागर लाया गया था जहां पर दिनांक 03.08.2019 को उसके द्वारा साक्षीगण भगवत सिंह गौड़ एवं प्रीतम अहिरवाल के समक्ष प्रकरण के आरोपी शेखरदास से पूछताछ की गई थी, तथा पूर्व में उसको बता दिया गया था कि वह अपना बयान देने के लिये स्वतंत्र है तथा उसके द्वारा दिया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8) के तहत कथन उसके विरूद्ध साक्ष्य में भी उपयोग किया जा सकता है जिससे उसे सजा भी हो सकती है, जिसके उपरांत आरोपी शेखरदास ने बताया था कि वह बंगाली भाषा एवं हिंदी भाषा जानता है तथा वह वन्य प्राणी कछुओं के अवैध व्यापार के सिलसिले में उत्तरप्रदेश भी जाता रहता है। आरोपी शेखरदास ने बताया था कि वह वर्ष 2012 से 2014 तक विलुप्त प्राय प्रजाति के वन्य प्राणी कछुओं की अवैध खरीद फरोख्त में संलिप्त रहा तथा आरोपी शेखरदास ने उसके साथ वन्य प्राणी कछुओं के अवैध व्यापार में संलिप्त मो0 इरफान का नाम भी बताया था। आरोपी शेखरदास द्वारा बताया गया था कि उसका मुख्यतः काम वन्य प्राणी कछुओं को पेंकिंग करके बांग्लादेश की बार्डर क्रास करवाना एवं प्रकरण के अन्य आरोपी आकाश उर्फ अजीज निवासी ढाका बांग्लादेश तक पहुंचाना था।

36. अभियोजन साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.11) ने यह भी बताया कि आरोपी शेखरदास ने विलुप्त प्राय प्रजाति के वन्य प्राणी कछुओं की अवैध तश्करी में संलिप्त अन्य आरोपीगण की फोटो पहचान करते हुये उनकी संलिप्तता कछुओं के अवैध व्यापार में बताई गई थी, जिस संबंध में उसके द्व

ारा साक्षीगण की मौजूदगी में पंचनामा प्रपी 191 तैयार किया गया था। उसके द्वारा आरोपी शेखरदास के मोबाइल नंबर 7908070073 के संबंध में सीडीआर तथा एसडीआर उपलब्ध कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल को अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक / क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स / 2019 / 969 सागर दिनांक 05.08.2019 के माध्यम से जानकारी चाही गई थी, उक्त पत्र प्रपी 301 है तथा उसके द्वारा आरोपी शेखरदास के मोबाइल नंबर 9046262690 एवं 9679127792 के संबंध में सीडीआर तथा एसडीआर उपलब्ध कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल को अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक / क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स / 2019 / 531 सागर दिनांक 01.05.2019 के माध्यम से जानकारी चाही गई थी, उक्त पत्र प्रपी 302 है, उक्त दोनों पत्रों के प्रतिउत्तर में उसके पास आरोपी शेखरदास के मोबाइल नंबर 7908070073, 9046262690 एवं 9679127792 की कॉल डिटेल प्राप्त होने के उपरांत उसके द्वारा उसकी कॉल डिटेल की जांच की गई थी जिसमें उसने पाया था कि वह आरोपी अजय सिंह के मोबाइल नंबर 9412124359 एवं 7088369759 एवं प्रकरण के फरार आरोपी शैलेन्द्र सिंह के मोबाइल नंबर 8506060763 से लगातार बात करना पाया गया था जिस संबंध में उसने गोशवारा प्रतिवेदन प्रपी 303 तैयार किया था। उक्तानुसार कथन अभियोजन साक्षी आरती शर्मा (अ.सा. 7) ने भी किये हैं।

37. अभियोजन साक्षी प्रीतम अहिरवाल (अ.सा. 9) ने अपने न्यायालयीन कथन के दौरान व्यक्त किया है कि जांचकर्ता अधिकारी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे द्वारा उसकी मौजूदगी में आरोपी शेखरदास से पूछतांछ की गई थी, जिसमें उसने विलुप्त प्राय प्रजाति के कछुओं का अवैध व्यापार किया जाना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि प्रभारी अधिकारी सहायक वनसंरक्षक क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स द्वारा शाखा प्रबंधक केनरा बैंक कटरा बाजार ब्रांच सागर के पत्र क्रमांक क्रं. क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक

फोर्स / 2019 / 1042 सागर दिनांक 04.09.2019 के साथ भेजा गया था, जिसके माध्यम से गिरफ्तार आरोपी शेखरदास के खाता क्रमांक 4975101000053 के संबंध में जानकारी चाही गई थी, जिसका बैंक एकाउण्ट स्टेटमेंण्ट प्राप्त किया था।

38. अभियोजन साक्षी सुर्भित कुमार जैन (अ.सा.10) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह नबंवर 2020 से गुजराती बाजार केनरा बैंक सागर में अधिकारी के पद पर पदस्थ है। केनरा बैंक शाखा गुजराती बाजार सागर में कार्यालय क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर म0प्र0 के पत्र क्र0 क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स / 2019 / 1042 दिनांक 04.09.2019 के माध्यम से शेखरदास के खाता क्रमांक 4975101000053 का विवरण चाहा गया था जो केनरा बैंक शाखा गुजराती बाजार सागर द्वारा क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर को दिया गया था उक्त खाते का दिनांक 20.04.2014 से 31.07.2019 तक का बैंक एकाउंट स्टेटमेंट प्रदान किया गया था जिसका शेखरदास के खाते का विवरण बैंक के कम्प्यूटर से उसने अपने आईडी से एक्सिस करके उसका प्रिंटआउट निकालकर मूल रूप से न्यायालय में पेश किया है, जो प्रपी 291 लगायत 293 है जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से ए भागों पर केनरा बैंक की सील लगी हुई है, शाखा द्वारा पूर्व में प्रदान की गई शेखरदास के खाता के स्टेटमेंट से मिलान कर देखने पर सभी एंट्री सही पाई गईं, जो प्रपी 294 लगायत प्रपी 298 हैं।

39. अभियोजन साक्षी राहुल रावत (अ.सा.13) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह पंजाब नेशनल बैंक शाखा कटरा जिला सागर में जुलाई 2021 से शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। उसके बैंक के रिकार्ड अनुसार क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर के पत्र क्रमांक / टीएसएफ / 2021 / 172 सागर दिनांक 15.04.2021 के माध्यम से खाताधारक मो0 सुल्तान जिसका खाता क्रमांक 0093000109109279 के बारे में बैंक एकाउंट स्टेटमेंट दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 31.03.2021 तक की जानकारी चाही गई थी, जो उनकी शाखा द्वारा क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर को सॉफ्ट कॉपी में मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई थी।

वर्तमान में उसके द्वारा खाताधारक मो0 सुल्तान के खाता क्रमांक 0093000109109279 की दिनांक 13.11.14 से दिनांक 17.04.2021 तक के बैंक एकाउंट स्टेटमेंट की मूल प्रति अपनी आईडी से निकालकर लाई गई है, जिसमें किसी प्रकार का फेरफार नहीं किया गया है। उक्त समस्त जानकारी कुल 30 पृष्ठों में है जो प्रपी 327 लगायत 356 हैं न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पूर्व से प्रदर्शित मो0 सुल्तान के खाता क्रमांक 0093000109109279 के एकाउंट स्टेटमेंट प्रपी 265 लगायत 280 से वर्तमान में साक्षी द्वारा प्रस्तुत बैंक एकाउंट स्टेटमेंट प्रपी 327 लगायत प्रपी 356 का मिलान किया गया, जो सही पाया गया। उक्त बैंक एकाउंट स्टेटमेंट उसके द्वारा उसकी बैंक आईडी से बैंक के कम्प्यूटर से प्रिंटआउट निकाले गये हैं जिस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का प्रमाण पत्र प्रपी 357 है जो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है । अभियुक्त के खाता क्र0 4975101000053 के स्टेटमेंट के संबंध में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रपी 299 हैं जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसकी आईडी की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रपी 300 है।

40. अभियोजन की ओर से तर्क के दौरान व्यक्त किया गया है कि अभियोजन साक्षी क्रं.03 विजेन्द्रसिंह जावरिया के मुख्य परीक्षण के पैरा–07 में संगठित गिरोह के सदस्य रामसिंह उर्फ भोला ने मोहम्मद सुल्तान, जो कि मोहम्मद इरफान का भाई है, के रूप में शिनाख्तगी की और मोहम्मद सुल्तान को लाल तिलकधारी कछुआ बेचने एवं अवैध व्यापार करने की बात अपने कथन 50 वन्य जीव संरक्षण में स्वीकार की है। उक्त साक्षी ने पैरा–9 में यह भी बताया है कि मोहम्मद इकरार ने भी आरोपी इरफान एवं उसके भई मोहम्मद सुल्तान के साथ लाल तिलकधारी एवं अन्य विलुप्त प्राय प्रजाति के कछुओं की खरीद फरोख्त की बात स्वीकार करते हुये उसे संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में स्थापित किया। उक्त साक्षी ने पैरा–10 में यह भी बताया है कि मोहम्मद सुल्तान के भाई मोहम्मद इरफान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह एवं सुल्तान विलुप्त प्राय प्रजाति के कछुओं के अवैध व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में लगातार कार्य करता रहा है। उक्त साक्षी ने पैरा–14 में यह भी व्यक्त किया है कि मोहम्मद सुल्तान ने अपने कथन

अंतर्गत धारा 50 (8) में स्वेच्छया स्वीकार किया कि वह अपने भाई मोहम्मद इरफान के साथ मिलकर कछुओं की अवैध खरीद फरोख्त में सम्मिलित रहा है। इसीप्रकार उक्त साक्षी ने पैरा–21 में यह भी बताया है कि मोहम्मद सुल्तान ने यह बताया था कि वह एवं उसका भाई आगरा आ गये थे, जहां कछुओं के अवैध व्यापार हेतु बने फेसबुक ग्रुप पर चैट के जरिये लड़ाई हुई थी, जिसके संबंध में प्रदर्श पी–32 एवं 33 को प्रदर्शित कराया है। प्रदर्श पी–35 लगायत 168 भी आरोपी की मेल आई.डी से निकाले गये हैं, जो न्यायालय के समक्ष प्रमाणित हैं। पैरा–05 में बताया है कि आरोपी अजयसिंह ने अपने कथन अंतर्गत धारा 50 (8) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बताया है कि वह कछुओं को कलकत्ता निवासी इरफान एवं उसके भाई सुल्तान, जिसका मोबाईल नंबर 9038374240 को कछुये बेचता था। आरोपी अजयसिंह ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह के अन्य सदस्यों जैसे शेखरदास, इरफान, मन्नीवन्नन, विजय, अजीज, शैलेन्द्रसिंह, तपश बशख आदि ने भी कछुओं का व्यापार करना स्वीकार किया है तथा मोहम्मद सुल्तान के साथ भी कछुओं को विलुप्त प्राय प्रजाति की अवैध खरीद फरोख्त की बात स्वीकार की है। जिससे यह स्थापित होता है कि आरोपी सुल्तान भी उसी संगठित गिरोह का सदस्य था, जिसका कि शेखरदास। इसप्रकार अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से दस्तावेजों को प्रमाणित करते हुये प्रमाणित कराया है, जिससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि अभियुक्त शेखरदास एवं सुल्तान द्व ारा विलुप्तप्राय प्राणी जीवित लाल तिलकधारी कछुआ की सहअभियुक्तण के साथ मिलकर तस्करी करते हुये अवैध रूप से व्यापार किया गया है। अतः उक्त अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुये कठोर दण्ड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

41. अभियुक्त शेखरदास के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि अभियोजन साक्षी संदेश माहेश्वरी द्वारा अपने न्यायालयीन कथनों के प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रं.29 में स्वीकार किया है कि आरोपी से संबंधित सी.

डी.आर. प्राप्त करने हेतु उसके द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया गया है, अभियोजन साक्षी इंदरसिंह बारे (अ.सा.02) द्वारा प्रतिपरीक्षण के पैरा–03 में यह उल्लेख किया है कि आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई थी। अभियोजन साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.04)के प्रतिपरीक्षण के पैरा–09 में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–191 लगायत 200 तक के दस्तावेजों पर आरोपी के हस्ताक्षर आर.टी.एस.एफ कार्यालय सागर में कराये गये थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी आरती शर्मा (अ. सा.07) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–11 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी शेखरदास ने अपनी हस्तलिपि में कोई भी कथन लेख नहीं कराये हैं और शेखरदास के बयान लेख करते समय कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति वहां नहीं था। इसीप्रकार अभियोजन साक्षी क्रमांक–08 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–8 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी शेखरदास से कोई भी वन्य जीव अवशेष की जप्ती नहीं हुई है एवं आरोपी शेखरदास ने सी डी आर निकालने के लिये ईमेल आई डी निकालकर नहीं दी थी एवं शेखरदास से संबंधित दस्तावेज नहीं निकाले गये हैं। अतः आरोपी को दोषमुक्त किया जावे।

42. अभियुक्त सुल्तान की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी क्रं.03 द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका–29 में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–27 के आदेश दिनांक 03.04.2021 को दोपहर 2.00 बजे प्राप्त हुआ था, जिससे उक्त आदेश के परिपालन में शाम 4.00 बजे आरोपी सुल्तान को गिरफ्तार करने दल कोलकाता रवाना हो गया था, किन्तु कोलकाता जाने के कोई भी यात्रा टिकिट व टेक्सी के बिल प्रकरण में शामिल नहीं किये हैं, इसके अतिरिक्त प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रं.30 में यह स्वीकार किया है कि उक्त गठित दल में उक्त साक्षी वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी प्रदर्श पी–28 उसके दौरान नियमित नहीं किया गया, इसी के साथ उक्त साक्षी के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 39 में यह भी स्वीकार किया है कि गठित दल में वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी उसके द्वारा जप्ती गिरफ्तारी पंचनामा की

कार्यवाही निष्पादित नहीं की गई। उक्त साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा–40 में यह भी स्वीकार किया गया है कि आरोपी की गिरफ्तारी जप्ती की कार्यवाही के पूर्व आरोपी के समक्ष स्वयं की तलाशी की कार्यवाही नहीं कराई गई है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–41 में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–29 में जप्तशुदा मोबाईल के आई.एम.ई.आई. नंबर में ओवर राईटिंग की गई है। उक्त साक्षी के द्वारा जप्ती गिरफ्तारी के समय स्वतंत्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं किया जाना स्वीकार किया है। जप्तशुदा मोबाईल को सीलबंद न किया जाना भी उक्त साक्षी ने स्वीकार किया है। साक्षियों की साक्ष्य से आरोपी सुल्तान के विरूद्ध मोबाईल में फर्जी डाटा इन्सर्ट कर उसके उक्त अपराध में झूठा संलिप्त किया गया है, जिससे उसे दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

43. उपरोक्त तर्कों का परिशीलन किया गया, तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया गया है।

44. अभियोजन साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि आरोपी शेखरदास के मोबाईल नंबर 7908070073 के संबंध में सी.डी.आर. तथा एस.डी.आर. उपलब्ध कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल को अपने कार्यालय के प्रदर्श पी–301 के पत्र क्रमांक क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राई फोर्स 2019 / 969 सागर दिनांक 05.08.2019 के माध्यम से जानकारी चाही गई थी। उसके द्वारा आरोपी शेखरदास के मोबाईल नंबर 9046262690 एवं 9679127792 के संबंध में सी.डी. आर. तथा एस.डी.आर. उपलब्ध कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी भोपाल को कार्यालय के पत्र क्रमांक–क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स / 2019 / 531 सागर दिनांक01.05.2019 के माध्यम से प्रदर्श पी–302 के पत्र द्वारा जानकारी चाही गई थी। जिसके संबंध में उसके पास आरोपी शेखरदास के उक्त तीनों मोबाईलों की कॉल डिटेल प्राप्त होने के उपरांत उसके

द्वारा उसकी कॉल डिटेल की जांच की गई थी, जिसमें पाया था कि वह आरोपी अजयसिंह के मोबाईल नंबर 9412124359 एवं 7088369759 एवं प्रकरण के फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह के मोबाईल नंबर 8506060763 से लगातार बात करना पाया था, जिसका प्रदर्श पी–303 का गोशवारा तैयार किया था।

45. अभियोजन साक्षी संदेश माहेश्वरी (अ.सा.01) ने अपने मुख्य परीक्षण के दौरान व्यक्त किया है कि अपराध के दौरान अभियुक्त अजय के द्व ारा अपने मोबाईल नंबर 7088369759 से शेखर के मोबाईल नंबर 9046262690 एवं अभियुक्त शेखरदास द्वारा मोबाईल नंबर 9679127792 से अजय को उसके मोबाईल नंबर 7088369759 एवं शेखरदास द्वारा मोबाईल नंबर 79080700073 से अजय को उसके मोबाईल नंबर 7088369759 एवं अजय के द्व ारा मोबाईल नंबर 9412124359 से शेखर को उसके मोबाईल नंबर 9679127792 एवं अजय द्वारा अपने मोबाईल नंबर 9412124359 से शेखर को उसके मोबाईल नंबर 9046262690 एवं शेखर के मोबाईल नंबर 9046262690 से अजय के मोबाईल नंबर 7088369759 पर की गई बातचीत के संबंध में सी.डी.आर. प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–19 में वनरक्षक राहुल के द्वारा सत्यापित होने पर उसके द्वारा काउण्टर हस्ताक्षर किये गये थे।

46. उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उक्त सी.डी.आर. के संबंध में फरार आरोपी शैलेन्द्र से शेखरदास की बातचीत के संबंध में शेखरदास के मोबाईल नंबर 9679127792 से शैलेन्द्र के मोबाईल नंबर 8506060763 से हुई बातचीत के संबंध में वनरक्षक राहुल के द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–20लगायत प्रदर्श पी–23 पर उसके द्वारा काउण्टर हस्ताक्षर किये गये थे। उक्त साक्षी की साक्ष्य की पुष्टि प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–19 के दस्तावेजों से होती है, जिनके अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी शेखरदास व आरोपी अजय के मध्य बातचीत क्रमशः 13.02.2017 के 11.37 बजे, दिनांक 18.02.2017 को 9.11 बजे, दिनांक 13.02.2017 को 11.46 बजे, दिनांक 07.03.

2017 को 20.19 बजे, दिनांक 09.04.2016 को 3.19 बजे, दिनांक 09.04.2016 को 3.15 बजे, दिनांक 11.02.2017 को 19.44 बजे हुई है तथा प्रदर्श पी–20 लगायत प्रदर्श पी–23 के अनुसार फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह एवं शेखरदास के मध्य बातचीत होना प्रकट होता है। अतः उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि आरोपी शेखरदास ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लाल तिलकधारी कछुओं की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में कार्य किया।

47. अब जहां तक आरोपी सुल्तान का संबंध है, उसके संबंध में विचार करने पर प्रकट होता है कि अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 विजयेन्द्रसिंह जावरिया की साक्ष्य के अवलोकन से प्रकट होता है कि उसने अपने कथन में बताया है कि आरोपी अजय ने उसे यह बताया था कि वह खरीदे गये कछुओं को कलकत्ता निवासी आरोपी मोहम्मद इरफान, जिसका मोबाईल नंबर 9163398233, 8979194276है, उसका भाई मोहम्मद सुल्तान जिसका मोबाईल नंबर 9038374240है, को लगभग दो हजार– तीन हजार रूपये प्रतिनग में बेचते थे और उन लोगों ने उसका सम्पर्क सनिलकुमार मोबाईल नंबर 9124449444 एवं 8189998999 से कराया, जो कि इस धंधे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संलिप्त था, जिसके द्वारा उसको इन कछुओं का अच्छा दाम मिलने लगा। उक्त साक्षी ने आरोपी सुल्तान से सेमसंग जे–7 नेक्स्ट मोबाईल प्रदर्श पी–29 द्व ारा जप्त किया गया है और उक्त मोबाईल को अभियोजन साक्षी राकेश तिवारी (अ.सा. 5) द्वारा अनलॉक किया जाकर प्रदर्श पी–31 का पंचनामा बनाया था, उक्त पंचनामा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त पंचनामा अभियोजन साक्षी राकेश तिवारी (अ.सा.05) द्वारा लेखबद्ध किया गया है तथा उक्त पंचनामा के साक्षीगण सुनील त्यागी एवं आरती शर्मा हैं। उक्त पंचनामा में यह उल्लेखित किया गया है कि ''दिनांक 08.04.2017 को वन अपराध प्रकरण क्रमांक– 28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सुल्तान पिता

मोहम्मद जैनुल निवासी वारसीलेन थाना इकबालपुर (पश्चिम बंगाल) का जप्तशुदा मोबाईल सेमसंग DUOS को हम पंचों के समक्ष खोला गया।'' उक्त पंचनामा दिनांक 08.04.2021 को लिखित किया जाकर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार प्रदर्श पी–34 के पंचनामा के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त पंचनामा अभियोजन साक्षी अनिल यादव (अ.सा.08) ने लेखबद्ध किया है, उक्त पंचनामा के साक्षियों के रूप में विजयेन्द्र जावरिया, वनक्षेत्रपाल, वनपाल राकेश तिवारी एवं वनरक्षक सुनील त्यागी के हस्ताक्षरों के साथ–साथ आरोपी मोहम्मद सुल्तान के भी हस्ताक्षर होना दर्शित होता है तथा उक्त पंचनामा में लेखबद्ध किया गया है कि ''हम पंचगण आज दिनांक 11.04.2021 को यह सही–सही तस्दीक करते हैं कि वन अपराध प्रकरण क्रमांक 28060 / 02 दिनांक 05.05. 2017 की अग्रिम विवेचना हेतु न्यायालय,सागर द्वारा स्वीकृत रिमाण्ड के दौरान आरोपी मोहम्मद सुल्तान द्वारा स्वयं अपनी जीमेल आई.डी. mdsultan 9903856155@gmail.com को कार्यालयीन कम्प्यूटर Dell vostro पर सेवाराम मलिक (स.व.सं.), उपवन मंडल अधिकारी (व.प्रा.) रहली एवं विजयेन्द्र जावरिया, वनक्षेत्रपाल विवेचना एवं प्रभारी अधिकारी टी.एस.एफ. सागर के समक्ष खोली गई। आरोपी मोहम्मद सुल्तान की जीमेल आई.डी. mdsultan 9903856155@gmail.com से प्राप्त दस्तावेजों को अनिल यादव वनरक्षक अधिकृत साईबर सेल स्टेट टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र.भोपाल ने कार्यालयीन प्रिंटर HP LaserjetM1005 MFP पर प्रिंट दिया गया। दस्तावेज प्रिंट होने के उपरांत आरोपी मोहम्मद सुल्तान ने उक्त दस्तावेजों पर स्वयं अपने हस्ताक्षर किये।'' उक्त दस्तावेज स्वयं आरोपी सुल्तान ने जीमेल आई.डी. mdsultan 9903856155@gmail.com के समक्ष खोली है। उक्त दोनों पंचनामों की पुष्टि अभियोजन साक्षी विजयेन्द्र जावरिया, वनक्षेत्रपाल (अ.सा.03), राकेश तिवारी (अ. सा.05), सुनील त्यागी (अ.सा. 06) एवं अनिल यादव (अ.सा.08) के कथनों से होती है। चूंकि अभियुक्तगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है,

जिससे प्रकट हो कि उक्त अधिकारी / कर्मचारीगण, जो कि क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर के अधिकारी / कर्मचारी हैं, से अभियुक्त सुल्तान की कोई रंजिश थी, जिसके कारण वे असत्य कथन कर रहे हों। अतः उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से पंचनामा प्रदर्श पी–31 एवं पी–34 में लेखबद्ध तथ्य प्रमाणित होना पाये जाते हैं।

48. अभियोजन साक्षी विजयेन्द्रसिंह जावरिया (अ.सा.03) ने यह भी अपने कथन में बताया है कि मोहम्मद सुल्तान के मोबाईल नंबर 9330600581 एवं 907885192 की सी.डी.आर.की साफ्ट कॉपी टाईगर स्ट्राईक फोर्स,भोपाल से प्राप्त हुई थी। उक्त साक्ष्य की पुष्टि अभियोजन साक्षी राकेश तिवारी (अ.सा.5) एवं अनिल यादव (अ.सा. 08) तथा सेवाराम मलिक (अ.सा.12) के कथनों से होती है। आरोपी सुल्तान की अन्य अभियुक्तगण से बातचीत होने के संबंध में जो कॉल डिटेल प्रस्तुत की गई, उसके प्रदर्श पी–65 लगायत प्रदर्श पी–108 के दस्तावेजों के अवलोकन से अभियुक्त सुल्तान की अभियुक्त अजयसिंह के मोबाईल नंबर 9163398233 एवं अन्य सहअभियुक्तगण के साथ वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु अन्तर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में सोशल नेटवर्क के माध्यम से सम्पर्क किये हैं, जिसके खण्डन में बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

49. साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन के समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विचारित आरोपों के संबंध में यद्यपि अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध का कोई चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, परंतु उक्त तथ्य को अस्वाभाविक या अभियोजन की कमी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन्य जीवों के साथ होने वाले अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं, जिनमें चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त होना संभव नहीं होता। वन्य जीव अपराध में पीड़ित पक्ष अर्थात वन्य जीव एक बे–आवाज, निरीह (वर्तमान मामले में तो अहिसंक भी) जीव होता है, जो न तो

मानव अपराध की दशा अनुसार स्वयं की पीड़ा किसी अन्य से या किसी फोरम पर व्यक्त कर पाने में सक्षम होता है, और न ही संबंधित अपराध की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उसके संबंध में घटना स्थल का कोई रहवासी या कोई अन्य चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्षी मिल पाना संभव हो। ऐसे में विधि भी अपराध के प्रमाणन हेतु किसी ऐसे प्रत्यक्ष साक्ष्य की अपेक्षा नहीं रखती जो एक प्रज्ञावान मस्तिष्क के लिए प्रकरण की परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होना संभव न हो। यही कारण है कि विधायिका को वन्य जीव संरक्षण हेतु एक विशिष्ट अधिनियम सृजित कर उक्त प्रकृति के अपराधों के अनुसंधान हेतु कतिपय असामान्य नियम उपबंधित करने पड़े हैं, और इसी कारण मामले में आयी हुयी साक्ष्य का विवेचन भी उक्त विशिष्ट उपबंधों के आलोक में ही किया जाना होगा।

50. उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के संस्वीकृतिकारी कथनों से यह भी स्पष्ट होता है कि सभी आरोपीगण भले ही एक दूसरे से व्यक्तिशः परिचित या संपर्कित नहीं थे, परंतु उनके बीच एक ऐसी कड़ी दर कड़ी विद्यमान थी जिससे आरोपीगण वन्यजीवों के शिकार और उनके अवैध व्यापार हेतु एक अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय रेकिट के रूप में मिलकर कार्य करते हुये दर्शित होते हैं, जैसे कि आरोपी शेखरदास के संस्वीकृति कथन प्रदर्श पी–282 में यह कथन किया है कि उसके द्वारा ज्यादातर उत्तरप्रदेश से खरीदे हुये कछुओं को बंग्लादेश व भारत का बार्डर क्रास करने का काम किया जाता है, इस काम से उसे अच्छा पैसा मिल जाता है। वह मोहम्मद इरफान के द्वारा पैकिंग कर दिये गये कछुओं को बंग्लादेश व भारत का बार्डर क्रास कराकर आकाश उर्फ अजीज निवासी बंग्लादेश तक पहुंचाता था। वह अजयसिंह, शैलेन्द्रसिंह, तपश बसक उर्फ रोनी, मोहम्मद इरफान एवं मन्नीवन्नन के साथ कछुओं का अवैध व्यापार करना बताया है। इसीप्रकार आरोपी सुल्तान ने अपने प्रदर्श पी–33ए के संस्वीकृति कथन में बताया है कि वह और उसका भाई इरफान (मोबाईल नंबर

9038786287, 8296524772 एवं 9163398233) वर्ष 2010 से उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश राज्य से कई प्रजातियों के वन्य प्राणी कछुये खरीदकर कोलकाता, चेन्नई के व्यापारियों को बेचा करते थे। इसमें कछुओं की प्रजातियां जैसे रेड क्राउन रूफ टर्टल, साफ्ट सेल टर्टल, हैमिल्टनी, स्टार टोरटोईस, मेलानोचेलिस टेरीकेरिनाटा एवं चित्रा इंडिका प्रजाति के मुख्य कछुये हैं। उसने यह भी बताया है कि वह, उसका भाई इरफान, विनोद थेवर, मन्नीवन्नन, तारकघोष, अजयसिंह, शिब्बू, रामसिंह उर्फ भोला तथा मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर आदि के साथ मिलकर लाल तिलकधारी कछुओं की खरीद फरोख्त कर उनका व्यापार करता है।

51. इस प्रकार उपरीवर्णित आरोपीगण के उक्त फोटो शिनाख्तगी पत्रकों के द्वारा की गयी संस्वीकृतियों से भी उनके मूल न्यायिकेत्तर संस्वीकृति कथन की पुष्टि होती है और तद्द्वारा इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि आरोपीगण कछुओं के शिकार व अवैध व्यापार के संबंध में एक कड़ी के रूप में जुड़े हुये थे और उनके द्वारा मिलकर निचले स्तर पर कछुओं का शिकार करने से लेकर, कछुओं का देश के अंदर परिवहन कर उक्त वन्य जीव के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाए रखने, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उंची कीमत पर उनका व्यापार करने हेतु आरोपीगण एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य कर रहे थे जिसमें प्रत्येक आरोपी की अपने स्तर पर अपनी एक विशिष्ट भूमिका थी, यहां यह भी महत्वपूर्ण है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी–14 लगायत प्रदर्श पी–23 तथा पंचनामा प्रदर्श पी–31 एवं प्रदर्श पी–31, पी–34 एवं पी–35 से होती है।

52. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि वन विभाग के साइबर प्रभारी साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) के द्वारा आरोपी इरफान, आरोपी मन्नीवन्नन एवं आरोपी थमीम अंसारी के ई.मेल, आई क्लाउड, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट एवं उनके मोबाइल फोनों से संचालित मेल एकाउण्ट से, स्वयं आरोपीगण द्वारा दिये गये पासवर्ड व जानकारी के

आधार पर, प्रदर्श पी 207 लगायत प्रदर्श पी 255, प्रदर्श पी 280 लगायत प्रदर्श पी 309, आर्टिकल ए–24 व आर्टिकल ए–25 तथा प्रदर्श पी 404 (संलग्न 10 पेज) व प्रदर्श पी 405 (संलग्न 5 पेज) के दस्तावेज निकाले गये हैं, जिनके बारे में अभियोजन साक्षियों ने व्यक्त किया है कि उक्त आरोपीगण के मेल एकाउण्ट उनके समक्ष ओपन किये गये और तत्पश्चात् उनके मेल एकाउण्टों, तथा सोशल नेटवर्किंग से प्राप्त जानकारी को उनकी विशिष्टियों के साथ अधिनियम की धारा 50 (8) (डी) के तहत आरोपी की उपस्थिति में लेखबद्ध करायी गई और उसपर उक्त साक्षियों ने अपने तथा आरोपी के तत्समय हस्ताक्षर कराये हैं, और उक्त साक्षियों ने दौरान साक्ष्य ऐसे हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है। स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 50 (8) (डी) के तहत प्राप्त व अभिलिखित उक्त दस्तावेज अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है।

53. अभियोजन की ओर से आरोपीगण की विचारित आरोपों में संलिप्तता को दर्शित करने हेतु उनके मोबाइल फोनों से एक दूसरे से बातचीत किए जाने और इस प्रकार से वन्य जीव लाल तिलकधारी कछुओं के अवैध व्यापार को सुगम बनाने के तथ्य के संबंध में कतिपय आरोपीगण के संबंधित मोबाइल फोनों की सीडीआर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि उक्त सीडीआर रिपोर्टों के साक्ष्य में ग्राह्य होने के संबंध में साइबर सेल के प्रभारी अनिल यादव एवं विजयेन्द्रसिंह जावरिया के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65बी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु उक्त संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि आरोपीगण के कथित मोबाइल नं के संबंध में प्रस्तुत उक्त सीडीआर साक्ष्य में उक्त मोबाइल कंपनी के सर्विस प्रोवाइडरों की ओर से धारा 65बी के प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत न किए जाने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, जैसा कि न्यायदृष्टांत अर्जुन पंडित राव खोटकर वि. कैलाश कुसनराव बोरंट्याल एवं अन्य सिविल अपील नं. 20825–20826 वर्ष 2017 में धारित किया गया है। आरोपीगण के इन संस्वीकृतिकारी कथनों कि वे एक दूसरे के साथ

मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में वन्य जीव लाल तिलकधारी कछुओं एवं पेंगोलिन का व्यापार ग्रासरूट लेबल से उन्हें प्राप्त कर, परिवहनित कर, उक्त वन्य जीवों एवं उनके अंगों को अवैध अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाते थे, की पुष्टि आरोपीगण के कथनों से होती है।

54. जहां तक वन अधिकारियों के द्वारा अपराधियों से जप्त मोबाइलों में अपराध संबंधी डाटा उक्त जप्ती के बाद इनसर्ट किए जाने के आरोप का प्रश्न है, उक्त तथ्य से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि अभियोजन अनुसार उक्त समस्त जानकारियां इंटरनेट व सोशल नेटवर्किंग साइट पर आरोपीगण के संबंधित एकाउंट से व उनके मोबाइलों से प्राप्त की गई अभिकथित है, और यदि उक्त जानकारियां संबंधित सोशल नेटवर्किंग साइट पर तत्समय उनसे सम्बद्ध एकाउंट में विद्यमान नहीं थी तो उस तथ्य को सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से बचाव पक्ष द्वारा साबित किया जा सकता था, जबकि बचाव पक्ष के द्वारा न तो ऐसी जानकारियों के तत्समय आरोपीगण के संबंधित एकाउंट में विद्यमान न होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है, और न हीं दौरान विचारण उक्त डिजिटल जानकारियों के फर्जी होने के संबंध में किसी प्रकार की परीक्षण अथवा जांच की मांग न्यायालय से की गई है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क को भी मान्य नहीं किया जा सकता।

55. जहां तक वर्तमान प्रकरण, अर्थात् वन्य जीव एवं उनके अवयवों के संबंध में किये गये अपराध, में सह अभियुक्तगण के द्वारा की गयी न्यायिक संस्वीकृतियों के आधार मात्र पर दोषसिद्धी आधारित किये जा सकने का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वन्य जीव अपराध संबंधी महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत संसारचन्द्र विरूद्ध राजस्थान राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 2024 वर्ष 2010 तथा माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत फॉरैस्ट रैंज ऑफीसर विरूद्ध अबूबकर 1989 केरला हाईकोर्ट तथा न्यायदृष्टांत स्टेट विरूद्ध फ्रांसिस मैसरेनहैस 2015 लॉ सूट (बॉम्बे) 1128 में स्पष्ट धारित किया है कि

वन्य जीव अपराधों के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50(8)(डी) के अंतर्गत रिसीव एण्ड रिकार्ड एवीडेंस (न्यायायिकेत्तर संस्वीकृति)के आधार पर दोषसिद्धी आधारित की जा सकती है।

56. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन यह युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी शेखरदास एवं मोहम्मद सुल्तान ने उनको अभिरक्षा में लिये जाने की दिनांक के पूर्व के वर्षों में उक्त सहअभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण तथा फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में कार्य किया है।

57. अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त आरोपी ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) एवं पेंगोलिन के स्कल्स, तथा अन्य वन्य प्राणी अवयव अधिनियम के तहत जो अनुसूचित पशु है,को अवैध रूप से स्वयं के कब्जे में रखा, विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) एवं पेंगोलिन के स्कल्स, तथा अन्य वन्य प्राणी अवयव को बगैर अनुज्ञप्ति के उनकी खरीद–फरोख्त (व्यापार) कर उनका अवैध परिवहन किया, अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त आरोपीगण ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) का शिकार किया।

58. परिणामतः उपरोक्त आरोपी शेखरदास एवं मोहम्मद सुल्तान को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम (संशोधन 2003) 1972 की धारा 39, 44, 48 एवं 48 (ए) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

59. आरोपी शेखरदास एवं मोहम्मद सुल्तान को वन्य प्राणी संरक्षण (संशोधन 2003) अधिनियम 1972 की धारा– 49बी के उल्लंघन में धारा 51 (1क) के परंतुक के आरोप में सिद्धदोष ठहराया जाता है।

60. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने के बिन्दु पर बचावपक्ष के अधिवक्तागण के निवेदन पर विचार किया। प्रकरण की परिस्थिति,अपराध की गंभीरता के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

61. आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर

पुनश्चः–

62. दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण एवं उनके अधिवक्तागण एवं अभियोजन को सुना गया। आरोपीगण के अधिवक्तागण द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उक्त अभियुक्तगण आरोपित दंड के लिए विहित अवधि के आधे से अधिक अवधि का कारावास व्यतीत कर चुके हैं ऐसे में उनके द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि का कारावास देते हुये रिहा किया जावे।

63. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया।

64. अतः अपराध के स्वरूप, आरोपी की निरोध की अवधि एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी शेखरदास एवं मोहम्मद सुल्तान को वन्य प्राणी संरक्षण (संशोधन 2003) अधिनियम 1972 की धारा– 49बी के उल्लंघन में धारा 51 (1क) के परंतुक के आरोप में प्रत्येक आरोपी को **तीन–तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 / – 10,000 / –रूपये** (अंकन

दस–दस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है तथा अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम में प्रत्येक आरोपी को एक–एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

65. प्रकरण में जप्त मुद्देमाल का निराकरण फरार आरोपीगण के निर्णय के समय किया जावेगा।

66. अभियुक्तगण को निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

67. आरोपी शेखरदास दिनांक 05.08.2019 से 29.03.2022 तक कुल दो वर्ष 07 माह एवं 24 दिवस एवं आरोपी सुल्तान दिनांक 13.04.2021 से 29.03.2022 तक कुल 11 माह एवं 16 दिवस तक न्यायिक निरोध में रहे हैं, उक्त आरोपीगण द्वारा निरोध में व्यतीत की गई उक्त अवधि को उन पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरूद्ध मुजरा किया जावे। तत्संबंध में आरोपीगण का धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तथा सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर